रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 832] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2018/कार्तिक 29, 1940
No. 832] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2018/KARTIKA 29, 1940

indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(वन संरक्षण प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1133(अ).—केन्द्रीय सरकार ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 30 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-धारा (i) के अधीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 782(अ) तारीख 17 अगस्त, 2018 में उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथाअपेक्षित, इससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों से, उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने की तारीख से पूर्व, आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया है;

और उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, की प्रतियां जनसाधारण को 17 अगस्त, 2018 को उपलब्ध कराई गईं थी;

और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) (जिसमें इसके पश्चात इस अधिसूचना को उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 30 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (लेखांकन प्रक्रिया) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय निधि और राज्य निधि में एक वर्ष में धनराशियां जमा करने की रीति को विनियमित करने हेतु लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

(1) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 3 की उप-धारा (3) निबंधानुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि' की स्थापना के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के

परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा एकत्रित की गई सभी धनराशियों, जिन्हें तदर्थ प्राधिकरण के अधीन रखा गया है और राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया गया है, को 'मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा' और उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए खोले गए अलग उप-शीर्ष के नीचे 'राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा' नामपद्धति से एक अलग लघु शीर्ष के अधीन भारत के लोक लेखा के ब्याज वहन करने वाले खंड में अंतरित किया जाएगा।

टिप्पण : यह एक जमा खाता है क्योंकि तदर्थ प्राधिकरण से अंतरित 90 प्रतिशत धनराशियां केन्द्रीय सरकार की नहीं, बल्कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की हैं।

(2) धनराशियां जमा करते समय तदर्थ प्राधिकरण, विस्तृत राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध कराएगा जिसके लिए लेखा महा नियंत्रक के कार्यालय को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से इस प्रयोजन के लिए मानक उप-शीर्ष अथवा विस्तृत शीर्ष का प्रस्ताव करना चाहिए ताकि उक्त मानक शीर्षों को मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा, 8121-साधारण और अन्य आरक्षित निधियों और 2406-वानिकी और वन्यजीव में वर्णित किया जा सके।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बार किए गए अंशदान की 10 प्रतिशत राशि भारत के लोक लेखा के ब्याज अनुषंगी करने वाले खंड के अंतर्गत 'मुख्य शीर्ष 8121 - साधारण और अन्य आरक्षित निधियां' के नीचे उल्लिखित प्रयोजन के लिए एक अलग लघु शीर्ष 'राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एनसीएएफ) के अधीन राष्ट्रीय निधि में जमा/अंतरित की जाएगी।

(4) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के निबंधनों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी होने के परिणामस्वरूप, मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधियों में इस प्रकार जमा की गई राज्यों के अंशदान की राशि (तदर्थ प्राधिकरण के पास जमा धनराशि का 90 प्रतिशत), प्रत्येक राज्य के अंशदान के अनुसार राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एससीएएफ) में अंतरित की जाएगी।

(5) संबंधित राज्य के अंशदान की राशि को राज्य निधि में अंतरित करते समय, लघु शीर्ष 'राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एससीएएफ)' के समुचित स्तर पर ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा और ये लेखा-शीर्ष सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से लागू होंगे।

(6) राज्य सरकारों द्वारा प्रयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त धनराशियों को राज्य सरकारों के लोक लेखा में 'मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा' के नीचे लघु शीर्ष स्तर में 'राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि' में जमा किया जाएगा। जिसमें से 90 प्रतिशत धनराशि राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121 में अंतरित की जाएगी और 10 प्रतिशत धनराशि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा की जाएगी; बशर्ते, केंद्रीय अंशदान की 10 प्रतिशत धनराशि को प्रति मासिक आधार पर जमा करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उसी को राष्ट्रीय निधि में अंतरित किया जा सके।

(7) राष्ट्रीय प्राधिकरण के व्यय का उपाबंध पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदान मांग के अधीन किया जाएगा और राष्ट्रीय निधि से वित्तपोषित की जाने वाली विशेष योजनाओं को राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाएगा और उसके लिए मंत्रालय के बजट में उपाबंध किए जाएंगे।

(8) इसी प्रकार, राज्य प्राधिकरण की वार्षिक प्रचालन योजना के आधार पर राज्य निधि से वित्तपोषित राज्य स्कीमों के लिए राज्य के बजट में उपाबंध किया जाएगा।

(9) मंत्रालय के वेतन और लेखा अधिकारी अथवा राज्य की खजाना, यथास्थिति, द्वारा भारत की संचित निधि/राज्य की संचित निधि के अधीन संबंधित कार्यात्मक शीर्ष के नामे डाला जाएगा और तदुपरांत राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अथवा राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के साथ नियमित अंतरालों पर घटाई गई वसूली की धनराशियों के रूप में लेखा का समायोजित किया जाएगा और इससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यय को राष्ट्रीय निधि या राज्य निधि, यथास्थिति, से समायोजित किया गया है और शेष धनराशि लोक लेखा में ब्याज अर्जित करने वाले गैर-व्यपगम्य शीर्ष में जमा रहेगी।

3. विस्तृत लेखांकन प्रविष्टियां :-

तदर्थ प्राधिकरण के पास उपलब्ध मौजूदा धनराशियों के अंतरण के लिए लेखांकन प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी :-

(i) आरंभ में तदर्थ प्राधिकरण के पास शेष पड़ी हुई धनराशि को भारत के लोक लेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खंड के अधीन 'एमएच 8336-सिविल जमा' के नीचे अलग लघु शीर्ष में अंतरित किया जाएगा।

नामे			
मुख्य शीर्ष	मौजूदा	8658	उचंत खाता
लघु शीर्ष	मौजूदा	108/138	पब्लिक सेक्टर के बैंक के उचंत खाते/अन्य नामनिर्दिष्ट बैकों (प्राइवेट) के उचंत सेक्टर बैंक
जमा			
मुख्य शीर्ष	मौजूदा	8336	सिविल जमा
लघु शीर्ष	**नया**	**102**	**राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधियां**
उप-शीर्ष	**नया**	**XX**	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**

टिप्पण 1: प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का एक पृथक उप-शीर्ष होगा। प्रत्येक उप-शीर्ष को विभिन्न कार्यकलापों नामत: प्रतिकरात्मक वनरोपण, वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य, जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना, ब्याज आदि के लिए विस्तृत शीर्ष में विभाजित किया जा सकेगा।

टिप्पण 2: धनराशि प्रेषित करते समय तदर्थ प्राधिकरण द्वारा विस्तृत राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र को 90% अंशदान की राशि के संदाय के समय लेखांकन की प्रविष्टि निम्नानुसार होगी:

नामे			
मुख्य शीर्ष	मौजूदा	8336	सिविल जमा
लघु शीर्ष	**नया**	**102**	**राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधियां**
उप-शीर्ष	**नया**	**XX**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
जमा			
मुख्य शीर्ष	मौजूदा	8658	उचंत खाता
लघु शीर्ष	मौजूदा	110	रिज़र्व बैंक का उचंत खाता – सीएओ

(iii) संबंधित राज्यों द्वारा धनराशियों को मुख्य शीर्ष '8121- साधारण और अन्य आरक्षित निधियां' के नीचे इसी प्रयोजन के लिए बनाए गए लघु शीर्ष '129 – राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एससीएएफ)' में जमा किया जाएगा और इस लघु शीर्ष को विभिन्न कार्यकलापों नामत: प्रतिकरात्मक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना, वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य, ब्याज आदि के लिए उप-शीर्ष में विभाजित किया जा सकता है और ये लेखा शीर्ष सभी राज्यों में समान रूप से लागू होंगे।

टिप्पण 1: '8336 – सिविल जमा' के अधीन 'राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधियां' और '8121 – साधारण और अन्य आरक्षित निधियां' के अधीन, 'राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि' के अंतर्गत उपलब्ध शेष धनराशियों पर लागू ब्याज की दर केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर घोषित दर के अनुसार होगी।

टिप्पण 2: '8336 – सिविल जमा' के अधीन 'राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधियां' और '8121 – साधारण और अन्य आरक्षित निधियां' के अधीन, 'राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि' के अंतर्गत उपलब्ध शेष धनराशियों पर लागू ब्याज की दर केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर घोषित दर के अनुसार होगी।

(iv) **राष्ट्रीय निधि में 10% अंशदान की राशि अंतरित करते समय :** केंद्रीय सरकार से संबंधित 10% अंशदान की राशि राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधियों से भारत के लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8336 – सिविल जमा के नीचे राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में अंतरित की जाएगी। और लेखांकन की प्रविष्टि निम्नानुसार होगी :-

नामे			
मुख्य शीर्ष	मौजूदा	8336	सिविल जमा
लघु शीर्ष	**नया**	**102**	**राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधियां**
उप शीर्ष	**नया**	**XX**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
जमा			
मुख्य शीर्ष	मौजूदा	8121	साधारण और अन्य आरक्षित निधियां
लघु शीर्ष	**नया**	**128**	**राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एनसीएएफ)**

(v) **प्रयोक्ता अभिकरणों से अंतरित वार्षिक रूप से प्राप्तियों की 10% लेखांकन की प्रविष्टि :-**

प्रयोक्ता अभिकरणों से अंतरित वार्षिक रूप से प्राप्तियों का आरम्भ में राज्यों द्वारा नीचे उल्लिखित शीर्ष में लेखांकन किया जाएगा:-

मुख्य शीर्ष	**मौजूदा**	**8336**	**सिविल जमा**
लघु शीर्ष	**नया**	**103**	**राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधियां**

परंतु इस लघु शीर्ष को विभिन्न कार्यकलापों के लिए उप शीर्ष में विभाजित किया जा सकेगा और तदुपरांत, 90% प्राप्तियों को लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121- साधारण और अन्य आरक्षित निधि के अधीन **लघु शीर्ष '129-राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एससीएएफ)'** में अंतरित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, **नए लघु शीर्ष '8121.129 –राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एससीएएफ)' के अंतर्गत उप-शीर्ष स्तर पर** ब्यौरा रखा और प्रदान किया जाएगा और ये लेखा शीर्ष सभी राज्यों में सामान रूप से लागू होंगे।

II. शेष 10% राशि को राज्यों द्वारा इनके जमा लेखा शीर्ष से मासिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में अंतरित किया जाएगा।

III. उसी को केन्द्रीय सरकार की लेखा पुस्तिकाओं में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी:

जमा			
मुख्य शीर्ष	मौजूदा	8121	साधारण और अन्य आरक्षित निधियां
लघु शीर्ष	**नया**	**128**	**राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एनसीएएफ)**

4. **निधि से व्यय -**

निधियों के उचित विनियोजन के बाद, राष्ट्रीय निधि से वित्त पोषित की जाने वाली स्कीकों पर किया जाने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 2406 से उपगत किया जाएगा।

(i) जारी की गईं मंजूरियों के आधार पर, वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा निम्नानुसार सरकारी खाते के नामे डालकर संदाय किया जाएगा: -

नामे			
मुख्य शीर्ष	मौजूदा	2406	वानिकी और वन्यजीव
उप-मुख्य शीर्ष	मौजूदा	04	वनीकरण और पारि-विकास
लघु शीर्ष	**नया**	**102**	**राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण (एनसीए)**
उप-शीर्ष	**नया**	**01**	**राष्ट्रीय प्राधिकरण**

जमा			
मुख्य शीर्ष	मौजूदा	8670	चेक और बिल
लघु शीर्ष	मौजूदा	102	वेतन और लेखा अधिकारी चेक

टिप्पण :विनियोगों की समुचित प्राथमिक इकाइयां राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधीन वित्तीय शक्ति नियम, 1978 के प्रत्यायोजन के अनुसार खोली जाएंगी।

(ii) उप-मुख्य शीर्ष '04-वनीकरण और पारि-विकास' के नीचे मुख्य शीर्ष' 2406-वानिकी और वन्यजीव' के अधीन एक नया लघु शीर्ष '103-राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण (एससीए)' खोला गया है। राज्य प्राधिकरण के अधीन उचित लेखा शीर्ष और विनियोग की प्राथमिक इकाइयां खोली जाएंगी।

5. राष्ट्रीय निधि/राज्य निधि से प्रतिपूर्ति-

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वेतन और लेखा अधिकारी, राष्ट्रीय निधि से कटौती की गई वसूली की धन-राशियों के रूप में लेखांकन का समायोजन करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि व्यय राष्ट्रीय निधि से समायोजित किया जाता है और शेष राशि लोक लेखा में ब्याज अर्जित करने वाली, गैर-व्यपगम्य निधि बनी रहती है:

(ii) वेतन और लेखा अधिकारी की बही में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी:

नामे		कोड	विवरण
मुख्य शीर्ष	मौजूदा	8121	साधारण और अन्य आरक्षित निधि
लघु शीर्ष	**नया**	**128**	**राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एनसीएएफ)**
(-नामे)			
मुख्य शीर्ष	मौजूदा	2406	वानिकी और वन्यजीव
उप-मुख्य शीर्ष	मौजूदा	04	वनीकरण और पारि-विकास
लघु शीर्ष	प्रस्तावित	**903**	राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एनसीएएफ) से पूरी की गई कटौती की राशि
वस्तु शीर्ष		**70**	कटौती के रूप में वसूल की गई राशियां

टिप्पण : राज्य सरकार(रों) के लिए की जाने वाली व्यवस्था केन्द्र सरकार के समान ही होगी। "राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एससीएएफ) से पूरित घटाई गई वसूली की राशि" '904' है।

6. राष्ट्रीय प्राधिकरण का बजट – राष्ट्रीय प्राधिकरण अपने बजट को राष्ट्रीय प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए तैयार करेगा और इसे केन्द्र सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यथा-विनिर्दिष्ट प्ररूप में और यथा विहित समय पर अग्रेषित करेगा। **समान व्यवस्था, राज्य प्राधिकरणों के संबंध में भी लागू होगी।**

7. राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखे –

(i) वेतन और लेखा कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय निधि से प्राप्तियों और संदाय के विस्तृत-पत्र का रखरखाव करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ मासिक आधार पर मिलान करेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी समय पर आरक्षित निधि के अंतर्गत कोई प्रतिकूल शेष न रहे।

(ii) नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छ: महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा एकत्रित की गई उन सभी धनराशियों के लेखों की लेखापरीक्षा करेंगे जिन्हें तदर्थ प्राधिकरण के अंतर्गत रखा गया है तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया गया है और इस संबंध में केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

IndiaCode

8. राष्ट्रीय प्राधिकरण की लेखापरीक्षा.-

(i) भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के पास राज्य या राष्ट्रीय निधि और राज्य/राष्ट्रीय प्राधिकरण की लेखापरीक्षा, जिसमें विशेष लेखापरीक्षा या निष्पादन लेखापरीक्षा भी शामिल है, करने की शक्ति है।

(ii) मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध भी नियमित अंतरालों पर राष्ट्रीय निधि और राष्ट्रीय प्राधिकरण की लेखापरीक्षा करेगा।

[फा. सं. 11-100/2015-एफ सी (खंड III)]

दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(Forest Conservation Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2018

G.S.R. 1133(E).—Whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016), published the accounting procedure as required under section 7 of the said Act vide the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 782(E), dated the 17th August, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), for inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the general public;

And whereas, copies of the Gazette in which the said notification was published, were made available to the general public on the 17th August, 2018;

And whereas, the objections and suggestions received in respect of the said draft rules within the specified period have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-sections (1) and (2) of section 30 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government in consultation with the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. (1) These rules may be called the Compensatory Afforestation Fund (Accounting Procedure) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette.

2. The accounting procedure to regulate the manner of crediting the monies to the National Fund and State Fund in a year shall be in such manner as given below:

(1) Consequent upon issue of notification in the Official Gazette for establishment of the 'National Compensatory Afforestation Fund' by the Central Government in terms of sub-section (1) of section 3 and in terms of sub-section (3) of section 3 of the said Act all the monies collected by the State Governments and Union territory Administrations which has been placed under the *ad hoc* Authority and deposited in the nationalised bank shall be transferred to the interest bearing section of Public Account of India under a distinct Minor Head with the nomenclature 'National Compensatory Afforestation Deposits' below the 'Major Head 8336- Civil Deposits' and Sub-Head opened thereunder for each State and Union territory.

Note : This is a Deposit Account as 90 percent of the monies transferred from the *ad hoc* Authority belong to State Governments and Union territories and not the Central Government.

(2) While remitting money, the *ad hoc* Authority shall provide detailed State wise break-up for which the Office of the Controller General of Accounts should, in consultation with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change propose standard sub heads or detailed head for this purpose so that said standard heads are reflected under Major Heads 8336-Civil Deposits, 8121- General and other Reserve Funds and 2406-Forestry and Wildlife.

(3) The one-time 10 percent share of the Central Government shall be credited/transferred to National Fund under interest bearing section of Public Account of India under a distinct minor head 'National Compensatory Afforestation Fund (NCAF)' for the purpose below the 'Major Head 8121- General and other Reserve Funds'.

(4) Consequent upon issue of notification for establishment of respective State Compensatory Afforestation Funds by the concerned State Governments in terms of sub-section (1) of section 4 of the Act, State share (90 percent of the monies with *ad hoc* Authority) so credited to the National Compensatory Afforestation Deposits under Major Head 8336-Civil Deposits, shall be transferred to State Compensatory Afforestation Fund (SCAF) as per each State share.

(5) While transferring respective State share to State Fund, breakup shall be provided at an appropriate level below the Minor Head 'State Compensatory Afforestation Fund (SCAF)' and these heads of accounts shall be uniformly applicable across all the States/Union Territories.

(6) The monies received by the State Governments from the User Agencies shall be credited in 'State Compensatory Afforestation Deposits' at Minor Head level below 'Major Head 8336-Civil Deposit' in Public Account of State. Out of which 90 percent shall be transferred to the Major Head 8121 in Public Account of State and 10 percent credited into the National Fund on yearly basis as per sub-section (4) of section 3 of the Act; provided that, the credit of 10 percent Central share of funds should be ensured on monthly basis so that the same is transferred to the National Fund.

(7) The expenditure of the National Authority shall be provided for under the Detailed Demand for Grants of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the specific schemes to be financed from the National Fund shall be formulated by the National Authority and provisions shall be made for the same in the Ministry's Budget.

(8) Similarly, the State Budget shall have provision for State Schemes financed from State Fund based on the Annual Plan of Operation of the State Authority.

(9) The Pay and Accounts officer of the Ministry or the State treasury, as the case may be, shall debit the concerned Functional Head under Consolidated Fund of India/Consolidated Fund of State and thereafter make the accounting adjustment at regular intervals with the National Compensatory Afforestation Fund or State Compensatory Afforestation Fund as deduct recoveries and this ensures that the expenditure is adjusted from the National Fund or the State Fund, as the case may be, and the balance continues to remain in the interest bearing, non-lapsable fund in Public Account.

3. Detailed Accounting Entries.-

The accounting entries for transfer of the existing monies with *ad-hoc* Authority shall be as below:-

(i) Initially, amount lying with *ad hoc* Authority shall be transferred to distinct minor head below 'MH 8336-Civil Deposits' under interest bearing section of Public Account of India.

Debit			
Major Head	Existing	8658	Suspense Accounts
Minor Head	Existing	108/138	Public Sector Bank Suspense/Other Nominated Banks (Private) Sector Banks Suspense
Credit			
Major Head	Existing	8336	Civil Deposits
Minor Head	**New**	**102**	**National Compensatory Afforestation Deposits**
Sub Head	**New**	**XX**	**State /UT**

Note 1: Each State or Union territory shall be a separate Sub-Head. Each Sub-Head may be divided into Detailed Head for various activities viz. Compensatory Afforestation, Net Present Value of Forest Land, Catchment Area Treatment Plan, Interest etc.

Note 2: While remitting money, the *ad hoc* Authority shall provide detailed State wise breakup.

(ii) **At the time of payment of 90 percent share to State Government or Union territory, the accounting entry shall be as follows:**

Debit			
Major Head	Existing	8336	Civil Deposits
Minor Head	**New**	**102**	**National Compensatory Afforestation Deposits**
Sub Head	**New**	**XX**	**State /UT**
Credit			
Major Head	Existing	8658	Suspense Account
Minor Head	Existing	110	Reserve Bank Suspense –CAO

(iii) Respective States shall credit the amounts to dedicated Minor Head '129-State Compensatory Afforestation Fund (SCAF)' below Major Head '8121-General and other Reserve Funds' and this Minor Head may be divided into Sub-Head for various activities, namely the Compensatory Afforestation, Catchment Area Treatment Plan, Net Present Value of Forest Land, Interest etc and these heads of accounts shall be uniformly applicable across the States.

Note 1: The applicable rate of interest on balances available under 'National Compensatory Afforestation Deposits' under '8336-Civil Deposits' and 'National Compensatory Afforestation Fund' under 8121-General and other Reserve Funds shall be as per the rate declared by the Central Government on year to year basis.

Note 2: The applicable rate of interest on balances available under 'State Compensatory Afforestation Deposits' under '8336-Civil Deposits' and 'State Compensatory Afforestation Fund' under 8121-General and other Reserve Funds shall be as per the rate declared by the Central Government on year to year basis.

(iv) **At the time of transfer of 10 percent share to National Fund:** 10 percent share pertaining to Central Government shall be transferred to National Compensatory Afforestation Fund under Public Account of India from National Compensatory Afforestation Deposits below Major Head 8336-Civil Deposits and the accounting entry shall be-

Debit			
Major Head	Existing	8336	Civil Deposits
Minor Head	**New**	**102**	**National Compensatory Afforestation Deposits**
Sub Head	**New**	**XX**	**State /UT**
Credit			
Major Head	Existing	8121	General and other Reserve Funds
Minor Head	**New**	**128**	**National Compensatory Afforestation Fund (NCAF)**

(v) **Accounting entry for 10 percent yearly receipts transferred from the User Agencies.- I.** The yearly receipts transferred from the user agencies shall initially be accounted by States in the below mentioned head :-

Major Head	**Existing**	**8336**	**Civil Deposits**
Minor Head	**New**	**103**	**State Compensatory Afforestation Deposits**

Provided that this Minor Head may be divided into Sub-Head for various activities and thereafter, 90 percent of the receipts shall be transferred to **Minor Head '129-State Compensatory Afforestation Fund (SCAF)'** under the Major Head 8121—General and other Reserve Funds in Public Account; provided further that break up shall be maintained and provided at **Sub-Head level under new Minor Head '8121.129 – State Compensatory Afforestation Fund (SCAF)** and these heads of accounts shall be uniformly applicable across the States.

II. Balance 10 percent shall be transferred to the National Fund by the States from their Deposit Head of Account on monthly basis.

III. The following accounting entry shall be made in the books of the Central Government on receipt of the same.

Credit			
Major Head	Existing	8121	General and other Reserve Funds
Minor Head	**New**	**128**	**National Compensatory Afforestation Fund (NCAF)**

4. Expenditure from the Fund-

After due appropriation of funds, the expenditure on schemes to be financed from National Fund shall be incurred from the Major Head 2406.

(i) On the basis of sanctions issued, the Pay and Accounts Officer shall make the payment by debiting government account as below:

Debit			
Major Head	Existing	2406	Forestry and Wild Life
Sub Major Head	Existing	04	Afforestation and Ecology Development
Minor Head	**New**	**102**	**National Compensatory Afforestation (NCA)**
Sub Head	**New**	**01**	**National Authority**
Credit			
Major Head	Existing	8670	Cheques and Bills
Minor Head	Existing	102	PAO cheques

Note: Appropriate primary units of appropriations shall be opened as per Delegation of Financial Power Rules, 1978 under National Authority.

(ii) A new Minor Head '103-State Compensatory Afforestation (SCA)' is opened under Major Head '2406-Forestry and Wildlife' below Sub-Major Head '04-Afforestation and Ecology Development and the appropriate head of accounts and primary units of appropriation shall be opened under State Authority.

5. Recoupment from National Fund/State Fund-

(i) The Pay and Account Officer of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall make the accounting adjustment with the National Fund as deduct recoveries and this ensures that the expenditure is adjusted from the National Fund and the balance continues to remain in the interest bearing, non-lapsable fund in Public Account.

IndiaCode

(ii) The following entry shall be made in the books of Pay and Accounts Officer-

Debit		Code	Description
Major Head	Existing	8121	General and other Reserve Funds
Minor Head	**New**	**128**	**National Compensatory Afforestation Fund (NCAF)**
(-Debit)			
Major Head	Existing	2406	Forestry & Wild Life
Sub Major Head	Existing	04	Afforestation and Ecology Development
Minor Head	Proposed	903	Deduct Amount met from National Compensatory Afforestation Fund (NCAF)
Object Head		70	Deduct recoveries

Note: The arrangement for State Government(s) shall be similar to that of Central Government and the Minor Head for "Deduct Amount met from State Compensatory Afforestation Fund (SCAF)" is '904'.

6. Budget of the National Authority-

The National Authority shall prepare its budget showing the estimated receipts and expenditure of the National Authority and forward the same to the Central Government, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed and **similar arrangement shall be applicable in respect of the State Authorities also.**

7. Accounts of National Authority-

(i) The Pay and Accounts Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall maintain a broadsheet of receipts and payments from the National Fund and effect reconciliation on monthly basis with the National Authority and it should be ensured that there are no adverse balances under the Reserve Fund at any time.

(ii) The Comptroller and Auditor-General shall, within a period of six months from the date of commencement of the Act, audit the accounts of all the monies collected by the State Governments and Union territory Administrations, which has been placed under the *ad hoc* Authority and deposited in the nationalised banks and submit the report to the Central Government.

8. Audit of National Authority.-

(i) The Comptroller and Auditor General of India has the power to conduct the audit including special audit or performance audit of State or National Fund and State or National Authority.

(ii)The Internal Audit Wing under Chief Controller of Accounts shall also conduct audit at regular intervals of the National Fund and National Authority.

[F. No. 11-100/2015-FC (Vol. III)]

DEEPAK KUMAR SINHA, Inspector General of Forest

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.11.22 11:24:56 +05'30'